न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 354/2023

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. भेरा पुत्र पोकरा 2. बगता पुत्र पोकरा जाति माली, निवासी सरकापार, बान्दरा, तहसील व जिला बाडमेर		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर, जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बाडमेर राजस्व आवेदन सं0 29/2021 दिनांक 04.07.23

उपस्थित–

1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 07 .10.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.23 के द्वारा तहसीलदार बाडमेर के पत्र कमांक 1580 दिनांक 04.07.23 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम सर का पार के खसरा नं0 761, 770/865, 1081/770, 1136/741, 1143/741, 735, 997/732 की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नं0 761 में कोई रास्ता चालू नही है। रास्ते का प्रस्ताव मौके के विपरित भेजा गया। आरएलआर एक्ट की धारा 131 में किसी खातेदारी भूमि में रास्ता दर्ज करने का प्रावधान नही है। बल्कि रास्ते का प्रावधान धारा 251–ए आरटी एक्ट में है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अभिलिखित खातेदारों को नोटिस, सुनवाई एवं सहमति के बिना एक खसरे में आवागमन हेतु रास्ता दर्ज करने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

का आदेश दे दिया गया। अपीलार्थी की भूमि के चिपते ही रेल्वे लाईन स्थित है तथा पीछे की तरफ सरकारी जमीन है। अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी की भूमि के दो टुकडे कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश के विपरित पारित कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपीलांट के खसरा नं0 761 की हद तक निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रस्तावित रास्ता राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.16 की पालना में मौके पर स्थाई रूप से चालू (कदीमी) रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। मौका फर्द दिनांक 11.8.22 के अनुसार उक्त कार्यवाही आपसी सहमति से की गई है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव पर की गई है। वकील अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा उसका खसरा नं0 761 दो भागों में विभाजित हो गया है, उक्त भूमि सिंचित काश्त है। वकील अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह आग्रह किया कि अपीलार्थी अपने खेत ख0नं0 761 के बीच में से रास्ता न देकर, उसकी पश्चिमी माठ पर रास्ता देने हेतु सहमत है एवं पश्चिमी माठ पर रास्ता दिये जाने से आवागमन में कोई कठिनाई नही होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन सं0 29/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2023 को अपीलांट्स के ख0नं0 761 की रकबा भूमि तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट्स एवं संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलांट्स की सहमति के अनुसार उसके खातेदारी ख0नं0 761 की पश्चिमी माठ पर रास्ता स्वीकृत कराने हेतु विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 07 **अक्टूबर, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

07.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर